FAX / Express

संख्या–542 पी / छः–पु–6–16–300(4) / 11

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

25

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक मई, 2016

बिषयः– उ0प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 11 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन के परिप्रेक्ष्य में उक्त यूनिट्स को थाना घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मसप्र / प–2–180 / 10, दिनांक 17–2–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 507 / छः–पु–7–15–2(3) / 2010 टीसी, दिनांक 23–3–2015 के द्वारा प्रदेश के 11 जनपदों (मुजफ्फर नगर, कुशीनगर, बाराबंकी, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई एवं श्रावस्ती) में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट की स्थापना के संबंध में संसाधनों हेतु श्री राज्यपाल द्वारा रू0 77,00,000 / –(रू0 सतहत्तर लाख मात्र) की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदान की गयी है।

2– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–15020 / 08 / 2007 –एटीसी, दिनांक 16–6–2010 के साथ उपलब्ध करायी गयी योजना में स्थापित की गयी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार का निर्णय निम्नवत् है :–

"The AHTU would be notified by the State Government as a Police for the entire district for registration and investigation of all cases Station relating to the crime of Human Trafficking which would be in addition to the other Police Station in the District."

3– अतः गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23–3–2015 के निर्गतोपरान्त प्रदेश के 11 जनपदों **(मुजफ्फर नगर, कुशीनगर, बाराबंकी, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई एवं श्रावस्ती)** में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट को थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उपर्युक्त थानों में अपराधों का पंजीकरण, उनकी विवेचना एवं तद्नुसरण में अग्रतर वांछित वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जनपद होगा।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या–542 (1)पी / छः–पु–6–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12 / मानवाधिकार अनुभाग।
4– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–15011 / 06 / 2009–एटीसी, दिनांक 22–2–2010 के संदर्भ में।
5– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–7 / 15
7– विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
अनु सचिव।

AD GO

संख्या 543 पी/छः–पु–6–16–300(4)/11

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 05, मई, 2016

बिषयः उ0प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 12 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन के परिप्रेक्ष्य में उक्त यूनिट्स को थाना घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मसप्र/प–2–180/10, दिनांक 17–2–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के शासनादेश संख्या 92/छः–पु–15–12, दिनांक 28–3–2012 के द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों (मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत नगर एवं शाहजहांपुर) में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट की स्थापना की गयी। इस हेतु गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 756/6–पु–7–12–2(3)/2010, टीसी दिनांक 23–3–2012 के द्वारा संशाधनों हेतु कुल रू0 2,76,000/–की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी तथा शासनादेश संख्या 498/6–पु–7–12–2(3)/2010, टीसी दिनांक 23–3–2012 के द्वारा संशाधनों हेतु कुल रू0 84,00,000/–की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी। साथ ही गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 156/6–पु–7–12–2(3)/2010, टीसी दिनांक 23–3–2012 के द्वारा संशाधनों हेतु श्री राज्यपाल द्वारा कुल रू0 4,20,000/–की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति निर्गत की गयी है।

Imp
seen/DS(PN)/P-15
04.05.2016
(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 15020/08/2007–एटीसी, दिनांक 16–6–2010 के साथ उपलब्ध करायी गयी योजना में स्थापित की गयी एण्टी हृयूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस को राज्य सरकार द्वारा पुलिस

AD GO

थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार का निर्णय निम्नवत् है :–

" The AHTU would be notified by the State Government as a Police Station for the entire district for registration and investigation of all cases relating to the crime of HumanTrafficking which would be in addition to the other Police Station in the District."

3– अतः गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के उपर्युक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों (मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत नगर एवं शाहजहांपुर) में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिटस को थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उपर्युक्त थानों में अपराधों का पंजीकरण एवं उनकी विवेचना एवं तद्नुसरण में अग्रतर वांछित वैधानिक कार्यवाही संपादित की जायेगी, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जनपद होगा।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या (।) पी/छः–पु–6–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12/मानवाधिकार अनुभाग।
4– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या –15011/06/2009–एटीसी, दिनांक 22–2–2010 के संदर्भ में।
5– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–7/15
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या 476 पी/छः-पु0-6-11-300(4)/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2011

विषय- उ0 प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 12 जनपदों (1-मेरठ, 2-गाजियाबाद, 3-गौतमबुद्ध नगर, 4-आगरा, 5-झांसी, 6-मुरादाबाद, 7-बरेली, 8-लखनऊ, 9-इलाहाबाद, 10-वाराणसी, 11-बस्ती, एवं 12-महराजगंज) में स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटों के लिए अधिसूचना जारी किये जाने के बारे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर श्री गोपाल के0 पिल्लई, गृह सचिव, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 15020/08/2007-एटीसी, दिनांक 16-6-2010 एवं सुश्री गीता सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, निमित्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, लखनऊ के पत्र संख्या मसप्र/प-2-180/10, दिनांक 17-2-2011 की प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव तस्करी रोकने हेतु 29 राज्यों के 335 जिलों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित किये जाने की योजना तैयार की गयी है, इसमें उ0प्र0 के 35 जनपदों (1-आगरा, 2-इलाहाबाद, 3-लखनऊ, 4-मेरठ, 5-बरेली, 6-बस्ती, 7-गाजियाबाद, 8-नोएडा, 9-मुरादाबाद, 10-वाराणीस, 11-महराजगंज, 12-झांसी, 13-मऊ, 14-कानपुर नगर, 15-गोरखपुर, 16-बिजनौर, 17-जौनपुर, 18-आजमगढ, 19-फिरोजाबाद, 20-पीलीभीत, 21-सीतापुर, 22-बलिया, 23-बागपत, 24-शाहजहांपुर, 25-बदायूं, 26-उन्नाव, 27-हरदोई, 28-कुशीनगर, 29-सिद्धार्थ नगर, 30-मुजफ्फर नगर, 31-खीरी, 32-बाराबंकी, 33-बहराईच, 34-श्रावस्ती, 35-बलरामपुर) जनपदों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम चरण में 12 जनपदों में (1-मेरठ, 2-गाजियाबाद, 3-गौतमबुद्ध नगर, 4-आगरा, 5-झांसी, 6-मुरादाबाद, 7-बरेली, 8-लखनऊ, 9-इलाहाबाद, 10-वाराणसी, 11-बस्ती एवं 12- महराजगंज) उक्त यूनिट गृह (पुलिस) अनुभाग-15

के शासनादेश संख्या 217/6-पु-15-2011, दिनांक 10-2-2011 (प्रति संलग्न) द्वारा स्थापित किया गया है साथ ही गृह (पुलिस) अनुभाग-7 द्वारा शासनादेश संख्या 5634/6-पु-7-10-2(3)/2010 टीसी, दिनांक 18-1-2011 द्वारा उक्त जनपदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में रू0 86.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी निर्गत की गयी है।

2- भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में यह भी कहा गया है कि एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाने के रूप में अधिसूचित की जायेगी जो पूरे जनपद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित अपराधों के पंजीकरण एवं विवेचना का कार्य करेगी। अतः अनुरोध है कि प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जनपदों (1-मेरठ, 2-गाजियाबाद, 3-गौतमबुद्ध नगर, 4-आगरा, 5-झांसी, 6-मुरादाबाद, 7-बरेली, 8-लखनऊ, 9-इलाहाबाद, 10-वाराणसी, 11-बस्ती, एवं 12-महराजगंज) में स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटों के लिए प्रकरण का परीक्षण कर/अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव/आख्या तथा अधिसूचना का हिन्दी/अंग्रेजी आलेख की प्रति फैक्स के माध्यम से शासन को दिनांक 25-2-2011 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

Fax

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि अपर पुलिस अधीक्षक, निमित्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा एवं महिला सहायता प्रकोष्ठ लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में वांछित प्रस्ताव/आख्या पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

24-2-11

24-2-11